न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1370/तीन/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 19–2–2014 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 307/2008–09 निगरानी

बच्चू पुत्र अजुद्वी पाल
ग्राम प्रतापपुरा तहसील बल्देवगढ़
जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्व

1– भैयन पुत्र लक्ष्मण कुम्हार
2– फुन्दी पुत्र लक्ष्मण कुम्हार
दोनों ग्राम प्रतापपुरा
तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
3– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री गंगा प्रसाद नायक)
(अनावेदक के अभिभाषक श्रीमती रजनी शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 307/2008–09 अ–6 निगराजी में पारित आदेश दिनांक 19–2–2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम प्रतापपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 847/1 रकबा 2.023 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के नक्शा सुधार करने की मॉग की। अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ ने न्यायालय में पूर्व से

प्रचलित निगरानी क्रमांक 73/2007-08 में आवेदन सम्मिलित किया तथा आदेश दिनांक 28 फरवरी 2008 पारित करके आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण क्रमांक 307/2008-09 अ-6 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-2014 से निगरानी अस्वीकार कर दी। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस में बताया कि आवेदक ने वादग्रस्त भूमि सर्वे नंबर 847/1 पंजीकृत विक्रय दिनांक 14-9-1987 से रिकार्डेड भूमिस्वामी से क्रय किया है तथा विक्रय पत्र में दर्शाई गई चारों ओर की सीमाओं अनुसार उसने मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। भूमि सर्वे नंबर 847 बहुत बड़ा भू भाग है जिसके पटटे अनावेदकगण को नायब तहसीलदार बल्देवगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 9 अ 19/ 2001-02 में पारित आदेश दिनांक 4-5-2002 से दिये है, जो क्रय की गई भूमि के 14 वर्ष 7 माह बाद के हैं जबकि आवेदक की भूमि सर्वे नंबर 847 का बटांक क्रय करने के पूर्व से है । तहसीलदार बल्देवगढ़ ने भूमि क्रय करने के पूर्व ही सर्वे क्रमांक 847/1 बनाया है परन्तु नक्शे में तरमीम करना छूट गया। शेष भूमि सर्वे नंबर 847 बनी रही, जिसके 4-5-2002 को पटटे दिये है । राजस्व निरीक्षक ने पटटा होने के बाद भूमि का 4-5-02 को नक्शा तरमीम किया है, राजस्व निरीक्षक को नक्शा तरमीम करने अथवा नक्शा सॅशोधन के अधिकार ही नहीं होना बताया है। लेखी

बहस में अंकित है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा विवाद उत्पन्न करा देने के कारण तहसीलदार को आवेदन देने पर उन्होंने वास्तविक स्थिति की जांच कराई है एंव प्रतिवेदन दिनांक 23-10-10 के संलग्न पंचनामा में वास्तविक स्थिति बताते हुये आवेदक के हित में नक्शा सुधार करने का प्रतिवेदन है। मौके पर आवेदक ने क्रय की गई भूमि में सिंचाई हेतु धन व्यय करके कुये का निर्माण किया है तथा ऊॅची-नीची भूमि को समतल करने एंव चारों ओर बॅधान बनाने में काफी धन खर्च करते हुये परिश्रम किया है। नक्शा सॅशोधित करते समय राजस्व निरीक्षक ने आवेदकगण को कोई सूचना एंव सुनवाई का मौका नहीं दिया है। पटटाग्रहीता अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक से सॉठ गॉठ करके आवेदक की अत्याधिक उपजाउ एंव कुये से सिंचित भूमि हथियाने की कौशिश की जा रही है। उन्होंने अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त के आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस में बताया है कि सर्वे नंबर 847 बड़े रकबे का नंबर है जिसमें से अनावेदकों को एक-एक हैक्टर के पटटे दिये गये हैं एंव भूमि बटांक में प्राप्त हुई है आवेदक का यह कहना गलत है कि राजस्व निरीक्षक से सॉठगॉठ करके बिना किसी अधिकार के नक्शे में तरमीम कराई है। आवेदक के स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 847/1 है जो अनावेदकों की भूमि से पृथक नंबर है, नक्शे में कोई काटछॉट नहीं की गई है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने मी मांग की है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक ने जो अतिरिक्त दस्तावेज अनुमति आवेदन के साथ प्रस्तुत किये हैं जिसमें राजस्व निरीक्षक वृत्त

बल्देवगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 30-1-15 की छायाप्रति प्रस्तुत की है राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकार अंकन है -

" वर्तमान राजस्व रिकार्ड के ग्राम प्रतापपुरा खसरा पंचशाला में भूमि ख.नं. 847/1 रकबा 2.18 है. तिजुवा,दुरजुवा, बच्चू पि.अजुद्दी गड़रिया 3/4 भुवन वेवा धुन्धी रमेश रामलाल पि. धुन्धी गड़रिया 1/4 है. भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है उपलब्ध नक्शा में ख.नं. 847/1 रकबा 2.018 है. की तरमीम नहीं है जिस स्थल पर आवेदकगणों का कब्जा है वह ख.नं. 847 में स्थित है नक्शा से स्थल मिलान करने पर पाया कि जिस भूमि पर आवेदकगणों ने कुआ खोदा है तथा भूमि को कृषि योग्य बनाया है उस भूमि पर ख.नं. 847/10/1 रकबा 1.000 है. ख.नं. 847/10/2 रकबा 1.000 है. की तरमीम नक्शे में बनी है जिसका प्रकरण क्रमांक 19 अ 19 वर्ष 2001-02 आदेश दिनांक 4-5-2002 के व्दारा तरमीम नक्शा में की गई है। "

प्रतिवेदन में अंकित अनुसार आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कुआ बना है तथा उसने भूमि को कृषि योग्य बनाया है। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 26-2-2008 के अंतिम पद में अंकित है कि प्रकरण क्रमांक 19 अ 19/ 2001-02 आदेश दिनांक 4-5-2002 से राजस्व निरीक्षक व्दारा नक्शे की तरमीम की गई है। विचार योग्य है कि क्या राजस्व निरीक्षक को नक्शे में तरमीम करने अथवा नक्शा सॅशोधन करने के अधिकार हैं ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अनुसार नक्शे में सुधार के अधिकार बंदोवस्त के दौरान बंदोवस्त अधिकारी को एंव बंदोवस्त समाप्ति उपरांत यह अधिकार कलेक्टर को है। **शिवनाथ प्रसाद श्रीवास्तव विरूद्ध राजस्व मण्डल 2002 रा0नि0 238** का न्यायिक दृष्टांत है कि **" खेत/क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाना और उसका पुनरीक्षण किया जाना - बंदोवस्त अधिकारी व्दारा राजस्व सर्वेक्षण के समय किया जा सकता है परन्तु जिलाधीश व्दारा निरन्तर किया जा सकता है "**। इसी प्रकार मोहम्मद इमरान एंव एक अन्य विरूद्ध म.प्र.राज्य तथा अन्य का न्यायिक दृष्टांत है कि **" खेत के नक्षा के पुनरीक्षण प्रकरण में अभिलिखित किये गये भूमिस्वामीगण को सुनवाई**

का अवसर दिया जाना आवश्यक है।''

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित धारा 70 में नक्शा तरमीम करने हेतु तहसीलदार को भी अधिकृत किया गया है परन्तु राजस्व निरीक्षक को नक्शा सॅशोधित करने अथवा नक्शे में बटांक अंकित करने के अधिकार नहीं है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक व्दारा पारित आदेश दिनांक 4-5-2002 विधि के प्रभाव से शून्यवत् है।

6/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि सर्वे नंबर 847 में आवेदक की भूमि सर्वे नंबर 847/1 रकबा 2.023 है. पूर्व से बटांक होकर विभाजित है तथा भूमि की चारों दिशायें भी पंजीकृत विक्रय दिनांक 14-9-1987 में अंकित कर विक्रेता ने अब से 27 वर्ष से अधिक समय पूर्व आवेदक को कब्जा दिया है जिसमें वह कुआ निर्माण कर सिचिंत खेती कर रहे हैं जबकि अनावेदकगण को राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 19 अ 19/ 2001-02 में आदेश दिनांक 4-5-2002 से नक्शा तरमीम की अधिकारिता न होते हुये भी नक्शा तरमीम कर भूमि चिन्हित कराई है। छोटेलाल बनाम स्टेट 1988 रा0नि0 13 का न्यायिक दृष्टांत है कि **" सर्वे नंबरर्स का बटा करने की शक्ति पटवारी या अन्य की नहीं कलेक्टर की है। ''** और मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 के अंतर्गत यह शक्तियॉ तहसीलदार को भी प्रदान की गई है। **अच्छेलाल विरूद्व श्रीमती सुशीला 1997 राजस्व निर्णय 353 का न्यायिक दृष्टांत है कि एक विस्तृत नंबर को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। सर्वप्रथम धारा 70 के अंतर्गत नक्शा सही किया जाना चाहिये, तत्पश्चात् ही सीमांकन किया जाना व्यवहारतः संभव है।** आवेदक भूमि क्रय दिनांक 14-9-87 से काविज होकर खेती करते चले आने के कारण उसकी भूमि को नक्शे में तरमीम दशाई जाना है

तदुपरांत ही सर्वे नंबर 847 की शेष बची भूमि आदेश दिनांक 4-5-2002 से दिये गये पटटेधारियों को बटांकित की जाकर नक्शा तरमीम होना थी, और जब आवेदक ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ से संहिता की धारा 107 में विहित नियमानुसार नक्शा सॅशोधन की मांग की, अपर कलेक्टर ने प्रकरण की गहराई में न जाकर राजस्व निरीक्षक व्दारा अधिकारिता-विहीन किये गये नक्शा सॅशोधन को उचित ठहराते हुये आवेदक का आवेदन निरस्त करने में भूल की है तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने भी अपर कलेक्टर के आदेश को पुष्ट करने में त्रृटि की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्र. क्र. 307/ 08-09 अ-6 निगरानी में पारित आदेश दि. 19-2-14 तथा अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 73/2007-08 निगरानी पारित आदेश दिनांक 28 फरवरी 08 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बल्देवगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है वह संहिता की धारा 70 में दिये गये प्रावधानानुसार स्थल निरीक्षक कर पूर्व से बटांकित एंव विक्रयपत्र अनुसार चिन्हित भूमि सर्वे क्रमांक 847/1 को नक्शे में पुर्नक्रमांकित करावें, तत्पश्चात् पटटाग्रहीताओं को सर्वे क्रमांक 847 में रिक्त पड़ी भूमि पर कब्जा प्रदान करने एंव नक्शे में तरमीम की कार्यवाही की जावे।

5.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर